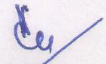


10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा-	क्षतिपूरक वनीकरण कार्य ग्राम-बीकापुर वन ब्लॉक में उपलब्ध रिक्त ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। वन क्षेत्र से दूरी-9.0 कि०मी०, भूखण्ड आकार समतल, ऊसर क्षेत्रफल 0.1500 हे०।
(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू खण्ड का आकर। (II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। (III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कायान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। (IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। (V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से संक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें)	प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-68 पर संलग्न है। 100 पौधों का वन खण्ड वृक्षारोपण में प्रजातियों का चयन भूमि की उपलब्धता के अनुसार, कार्यदायी संस्था-सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई अवधि-2016-17 से 2019-20 तक लागत रु०-17000.00 रु०-17000.00 प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-25 पर संलग्न है।
11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-28 पर संलग्न है।
12-विभाग/जिला प्रोफाइल (I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (II) जिले का वन क्षेत्र (III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र (IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर (IV) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	598900 हे०। 11962.141 हे०। स्वीकृत मामलों की संख्या-23, क्षेत्रफल- 28.4342 हे०। शून्य शून्य 28.705 हे० 3283.254 हे०।
13-प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति की जाती है।
तिथि: स्थान-हरदोई	 (वी०के० सिंह) मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक, सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग हरदोई

भाग-II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7- परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद-हरदोई में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पलिया-लखनऊ मार्ग (राजमार्ग सं०-25) कि०मी० 180-181 (चैनेज 947-982) के मध्य दांयी पटरी पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित संरक्षित भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति। उत्तर प्रदेश। हरदोई। सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, हरदोई 0.0750 हे०
(I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) स्वामित्व लो०नि०वि०
(II) जिला	0.38 औसत
(III) वन प्रभाग	किसी वृक्ष की क्षति नहीं हो रही है।
(IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
(V) वन की कानूनी स्थिति	शून्य
(VI) हरियाली का घनत्व	नहीं।
(VII) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) । सिचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाय)	नहीं।
(VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं।
(IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	नहीं।
(X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जायें)।	हाँ प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है।
(XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं।
(XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	
9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	